न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/जागीर अधि./7132/2002/अलवर

रामगोपाल पुत्र श्री भोरेलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दमरेह तहसील राजगढ जिला अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. धनश्यामदत्त
2. रधुनन्दन
3. श्रीबल्लभ

पुत्रान श्री गोपालसहायक जाति ब्राहमण निवासी ग्राम दमरेह तहसील राजगढ जिला अलवर

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ

..... रेस्पोंडेंटस

खण्ड–पीठ
श्री डॉ0आर.वेंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य

उपस्थित :
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अजीतसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.2 व 3

दिनांकः–

निर्णय

1– जागीर अधिनियम, 1952 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 39(2) के अन्तर्गत हस्तगत् अपील न्यायालय जागीर आयुक्त जयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–11–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील मेमों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मंदिर श्री गोपीनाथ जी की जागीर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1–7–1963 से अधिग्रहण होने के बाद उक्त मंदिर की साज संवार भोग एवं सेवापूजा के लिये डिप्टी कलेक्टर जागीर अलवर द्वारा दिनांक 18–11–64 को 28 रूप्ये 46 पैसे की वार्षिक वृती कायम की गई थी। रेस्पोडेंट नंबर 1 धनश्याम की तरफ से जागीर कलेक्टर अलवर के यहां पर दिनांक 7–5–97 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत मंदिर की सेवापूजा उसके पिता श्री गोपालसहाय करते थे जिनका देहांत दिनांक 26–11–91 को हो गया एवं तब से वह उक्त मंदिर के नाम से स्वीकृत वार्षिक वृती सेवापूजा करने के कारण उसे दिलायी जावे।

कलेक्टर जागीर अलवर द्वारा दिनांक 3–1–2001 को जारी आदेश से उसका तथा उसके भाईयों का नाम प्रतिस्थापित करते हुये दिनांक 22–12–64 के आदेश की अक्षरशः पुनरावृति कर दी। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील जागीर आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 20–11–02 से निरस्त की दी। जागीर आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 20–11–02 से व्यथित होकर यह अपील अपीलांट रामगोपाल द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील ज्ञापन में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अपीलांट प्रश्नगत मंदिर का पुजारी होकर देखभाल एवं सेवापूजा करता है किंतु कलेक्टर जागीर ने दिनांक 22–11–64 के आदेश को बहाल रखते हुये जो निर्णय दिनांक 20–11–02 पारित किया है वह गलत है। मंदिर को दी जाने वाली वार्षिक वृती को प्राप्त करने का अधिकारी सिर्फ वह आदमी ही हकदार है जो उसकी सेवापूजा करता है। किंतु जागीर आयुक्त ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ना सिर्फ अपीलांट की अपील को निरस्त किया है बल्कि जागीर कलेक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 3–1–02 को भी निरस्त करते हुये धनश्यामदत्त पुत्र गोपालसहायक को पुजारी मानते हुये मंदिर की वार्षिक वृती लेने का अधिकारी माना जबकि धनश्यामदत्त की तरफ से जागीर कलेक्टर के आदेश दिनांक 3–1–02 के विरूद्ध जागीर आयुक्त के न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। एन्यूटर जारी करते समय रामगोपाल के पिता का नाम गलती से छोटेलाल लिख दिया गया था जबकि छोटेलाल रामगोपाल के बाबा का नाम था। रामगोपाल के पिता का नाम भोरलाल है। भोरेलाल के मरने के बाद रामगोपाल का अन्यूटी रजिस्टर में आ गया था। नक्शा दाखिल खारिज मुआफी की नकल से साबित होता है कि रामगोपाल भोरेलाल का लडका था एवं उसके मरने के बाद एन्यूटी रामगोपाल के नाम चढी है। रेस्पोडेंट कोई भी मंदिर की सेवापूजा हेजु पुजारी नियुक्त होने की योग्यता नहीं रखते है एंव ना ही उनके द्वारा कभी सेवापूजा नहीं की गई है। मंदिर से सबंधित एन्यूटी की राशि मंदिर के भोगराज, सेवा पूजा हेतु प्रदान की जाती है। जिसे प्राप्त करने का अधिकारी केवल पूजारी को है। रेस्पोडेंट्स का मंदिर से कोई सबंध एवं सरोकार नहीं है। अपीलांट तथा मूलंचद एवं देवकीनन्दन द्वारा पूर्व में मंदिर से सबंधित कृषि भूमि में स्वयं को खातेदार दर्ज करने हेतु उपखंड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत यिा था जो दिनांक 30–6–83 को डिक्री हुआ था। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा निरस्त की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट एवं उसके पिता ने हमेशा मंदिर एवं उससे सबंधित भूमि पर अपनी गलत नियत रखी है एवं गलत कार्यवाही न्यायालय में की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की ओर कोई ध्यान दिये बिना निर्णय पारित किये गये है जो निरस्त किये जावे।

3— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बहस में कहा कि उनके पक्ष में सिविल न्यायलाय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

4— हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय एवं प्रस्तुत सिविल न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

5— हस्तगत् अपील जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनांक 20—11—02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा जागीर कमिश्नर ने मंदिर श्री गोपीनाथ महाराज दमरेड तहसील राजगढ की वार्षिक वृती पुजारी धनश्यामदत्त् के नाम से जारी करने का आदेश पारित किया है। वर्तमान पक्षकारों द्वारा इसी सबंध में राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्त 1970 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 23—3—2018 के अनुसार वर्तमान रेस्पोडेंट धनश्यामदत्त शर्मा का वाद एवं श्री रामगोपाल द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम निरस्त किये जा चुके है। हमारे समक्ष उभय पक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो कि निर्णय दिनांक 23—3—2018 को किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई हो। सिविल न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिकार तय किये जाने के पश्चात् वर्ष 2002 में पारित जागीर कमिश्नर के आक्षेपित आदेश के सबंध में राजस्व मंडल द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक नहीं है। चूंकि उभय पक्ष के हितों का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा चुका है ऐसी स्थिति में हस्तगत् अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

परिणामतः हस्तगत् अपील निष्प्रभावी होने के कारण बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरडा)
सदस्य

(डॉ0 आर.वेंकटेश्वरन)
अध्यक्ष